



पत्र संख्या- / जी०एस० / शिक्षा / १३-२२/२०१३

प्रेषक,

राज्यपाल / कुलाधिपति के सचिव,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवामें,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड

देहरादून-दिनांक: १० अक्टूबर २०१३

महोदय,

कुमाऊँ विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विभिन्न बी०एड० संस्थानों द्वारा अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिकाएँ दायर की गयी हैं, जिनमें कतिपय संस्थानों को बिना विलम्ब के अस्थायी (provisional) सम्बद्धता प्रदान किये जाने के अन्तरिम आदेश दिनांक १०.०७.२०१३, ११.०७.२०१३, १८.०७.२०१३, ३०.०७.२०१३, ०६.०८.२०१३ तथा ०४.०९.२०१३ को मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक १२-०९-२०१३ एवं पत्र दिनांक ०८ अक्टूबर, २०१३ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति के आलोक में मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप प्रश्नगत निम्नांकित संस्थानों को शैक्षणिक सत्र २०१२-१३ हेतु अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है, जो कि प्रकरणों में मा० उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी। तत्क्रम में कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय से प्राप्त संस्तुति के क्रम में आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-३७(२) के अधीन निम्नांकित संस्थान/कालेज को स्तम्भ-३ में वर्णित पाठ्यक्रम में स्तम्भ-४ पर वर्णित अवधि के लिये अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान कर दी है :-

क्र०	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	अस्थायी सम्बद्धता की अवधि
१	२	३	४
१.	ट्रिनिटी इन्स्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल स्टडीज। रिटयाचिका सं० ११९१ एम०एस० आफ २०१३	बी०एड० (१०० सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र २०१२-१३ हेतु
२.	स्वामी विवेकानन्द प्राईवेट कालेज आफ मैनेजमेन्ट। याचिका १२०६ एम०एस० आफ २०१३	बी०एड० (१०० सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र २०१२-१३ हेतु
३.	जय अरिहन्त कालेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन, हल्द्वीचौड। याचिका ११९० एम०एस० आफ २०१३	बी०एड० (१०० सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र २०१२-१३ हेतु
४.	जय अरिहन्त एकेडमिक इन्स्टीट्यूट, हल्द्वीचौड। रिट याचिका ११८९ एम०एस० आफ २०१३	बी०एड० (१०० सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र २०१२-१३ हेतु
५.	बजाज कालेज आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी। याचिका ११९२ एमएस आफ २०१३	बी०एड० (१०० सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र २०१२-१३ हेतु
६.	पूर्णागिरी कालेज आफ एजुकेशन, खटीमा। याचिका ११९७ एमएस आफ २०१३	बी०एड० (१०० सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र २०१२-१३ हेतु
७.	आर०एल०एस० मेमोरियल डिग्री कालेज, जसपुर, ऊधमसिंहनगर। याचिका ११९६ एम०एस० आफ २०१३	बी०एड० (१०० सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र २०१२-१३ हेतु
८.	हरदेव सिंह स्मारक कालेज, जसपुर, ऊधमसिंहनगर। याचिका ११९५ एम०एस० आफ २०१३	बी०एड० (१०० सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र २०१२-१३ हेतु
९.	श्रीराम इन्स्टीट्यूट मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, काशीपुर। याचिका सं० ११९४ एमएस आफ २०१३	बी०एड० (१०० सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र २०१२-१३ हेतु

सं० ५१: - २१

10.	श्री सॉई शिक्षण संस्थान, जसपुर, उधमसिंहनगर। याचिका 1193 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
11.	द्रोण बी0एड0 कॉलेज फार बुमैन, दिनेशपुर, रुद्रपुर। याचिका 1199 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
12.	द्रोण बी0एड0 कॉलेज, दिनेशपुर, रुद्रपुर। रिट याचिका 1198 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
13.	आम्रपाली इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स, शिक्षा नगर, हल्द्वानी। रिट याचिका 1212 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
14.	प्रेजेन्टेशन कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन, काठगोदाम (हल्द्वानी) रिट याचिका 1238 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
15.	जे0एम0 काल इन्स्टीट्यूट आफ एजुकेशन, नैनीताल। रिट याचिका 1237 एमएस आफ 2013	बी0एड0 (60 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
16.	एल0बी0एस0एस0 कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जसपुर। रिट याचिका 1243 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
17.	मरियम इन्स्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज एण्ड एप्लाइड कोर्सेस, बरेली रोड, हल्द्वानी। रिट याचिका 1239 एमएस आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
18.	एलकॅमिस्ट इन्स्टीट्यूट आफ एजुकेशन। रिट याचिका 1244 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
19.	इन्स्पेरेशन कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन, पॉलीशीट, काठगोदाम, नैनीताल। रिट याचिका 1240 एमएस आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
20.	देवभूमि कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर बुमैन, कच्ची खमरिया, पो0 लालपुर, रुद्रपुर रिट याचिका 1262 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
21.	देवभूमि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कच्ची खमरिया, पो0 लालपुर, रुद्रपुर रिट याचिका 1261 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
22.	देवभूमि कॉलेज ऑफ एजुकेशन चूनामट्टा रोड, बनवसा, चम्पावत। रिट याचिका 1260 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु

(3)

23.	सरस्वती इन्स्टीट्यूट आफ मैनेज्मेंट एण्ड टेक्नोलॉजी रुद्रपुर रिट याचिका 1264 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
24.	डा० सुशीला तिवारी प्राइवेट बी0एड0 कालेज, सितारगंज, उधमसिंहनगर। रिट याचिका 1270 एमएस आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
25.	श्री गुरुनानक डिग्री कालेज। रिट याचिका 1300 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
26.	काशीपुर कालेज आफ एजुकेशन। रिट याचिका 1625 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
27.	केशव सूर्यमुखी कालेज आफ एजुकेशन। रिट याचिका 1626 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
28.	शहीद कै० डी०के० खाला कालेज आफ एजुकेशन। याचिका 1624 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
29.	सल्ट इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेज्मेंट बनाम राज्य एवं अन्य। रिट याचिका 1741 (M/S) of 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
30.	श्री गुरुनानक प्रा० कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नानकमल्ला याचिका सं० 1740 एमएस ऑफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
31.	सूरजमल अग्रवाल प्रा० कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किच्छा याचिका सं० 1739 एमएस ऑफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
32.	घनद्रावती तिवारी गर्ल्स डिग्री कालेज, काशीपुर याचिका सं० 1742 एमएस ऑफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु

- उक्त संस्थानों को एतद्वारा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता सम्बन्धित संस्थान द्वारा मा० उच्च न्यायालय में योजित याचिकाओं में अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
- इसी मध्य सभी प्रकरणों का पृथक से परीक्षण किया जायेगा तथा भावी अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में निर्णय या कार्यवाही उसी आधार पर सुनिश्चित की जायेगी।
- निर्धारित मानकों की पूर्ति व अर्ह फैंकल्टी की सुनिश्चितता के सम्बन्ध में कुमाऊँ विश्वविद्यालय एवं निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा संस्थानों का अपने स्तर से समय-समय पर अनिवार्यतः निरीक्षण किया जाता रहेगा। यदि संस्थानों के मानकों का पूर्ण न होना पाया जाता है तो ऐसे संस्थानों की मान्यता समाप्त किये जाने के लिये संस्तुति/प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा शिथिलता बरती जाती है तो शासन द्वारा सम्बन्धित कार्मिक/समझ अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
- संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संचालित पाठ्यक्रम, अवस्थापना सुविधायें, शैक्षिक-शिक्षणोत्तर फैंकल्टी की शैक्षिक अर्हता, उत्तीर्ण परीक्षाफल एवं प्राप्तोंक प्रतिशत, फैंकल्टी अंकपत्रों की प्रतियाँ, फैंकल्टी की अद्यतन फोटो सहित फैंकल्टी को मासिक वेतन भुगतान का विवरण अपलोड किया जायेगा।
- यदि किसी भी स्तर पर शासन के संज्ञान में आता है कि उक्त संस्थान में संचालित पाठ्यक्रम की सम्बद्धता की संस्तुति तथ्यों को धुपाते हुए प्रस्तावक द्वारा की गई है तो इसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित/निरीक्षण दल/संस्थान का होगा तथा संस्थान की सम्बद्धता समाप्त किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व संस्थान/कालेज को अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा, तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।

- 6- संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय, शासन, एवं महामहिम कुलाधिपति के आदेशों/निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।
- 7- संस्थान में मानक के अनुसार अर्ह फैंकल्टी नियुक्त होने के पुष्टि समय-समय पर विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा द्वारा की जायेगी। यदि फैंकल्टी पूर्ण न किये जाने का मानक किसी संस्था द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है तो उक्त वर्षों में उसकी सीटें उपलब्ध फैंकल्टी के अनुसार अनुमन्य की जायेगी।
- 8- संस्थान द्वारा किसी दूसरे विश्वविद्यालय का कोई दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं किया जायेगा।
- 9- छात्रों से विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा यदि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होती है तो संस्थान के विरुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
- 10- यदि संस्थान द्वारा कुलाधिपति/शासन के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में शासन द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों प्रारम्भ करने के लिए दी गई अनापत्ति को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
- 11- संस्थान के कार्यरत फैंकल्टी के सदस्यों का वेतन का भुगतान बैंक में फैंकल्टी के सदस्यों के नाम खोले गये खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय-समय पर विश्वविद्यालय/निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा की जायेगी। यदि निरीक्षण के दौरान किसी भी संस्था द्वारा पूर्ण फैंकल्टी नहीं पाई जाती है अथवा अभिलेखों में इसकी संतुष्टि नहीं होती है तो जारी अनापत्ति के सापेक्ष उक्त संस्था के सम्बन्धित पाठ्यक्रम को रोकें जाने हेतु तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
- 12- संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 को अधिनियम के अनुसार आरक्षण दिया जाना होगा।
- 13- संस्थान द्वारा उक्त शर्तों का अनुपालन किया जा चुका है अथवा नहीं? इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इसकी पुष्टि की जानी होगी। अन्यथा आगामी अस्थाई सम्बद्धता स्वीकृत नहीं की जायेगी।

भवदीय,

(अरुण कुमार ढौंडियाल)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या-2112-(1)/जी0एस0/शिक्षा/A3-22/2013, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 3- कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
- 4- निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, निकट मानसरोवर स्टेडियम, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान।
- 5- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, हल्द्वानी।
- 6- प्रबन्ध/सचिव, सम्बन्धित संस्थान।
- 7- संस्थान की सम्बन्धित पत्रावली/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(धनश्याम शर्मा)
कुलाधिपति के अनुसचिव।